झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शि0) गिरिडीह / PDS–99 / 2021 - 348

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 04.04.2024

विषयः— गिरिडीह जिला अन्तर्गत बगोदर प्रखण्ड में DSD में अनियमितता से संबंधित मामले पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्रा0+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा DSD अभिकर्ता के विरूद्ध वाउचर में हेराफेरी कर डिलिवर किये गये कम अनाज को Online में पूर्ण Dispatch दिखाकर राशन का बड़े पैमाने पर गबन करने एवं उक्त मामले में बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक के भी संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया था। **(अनुलग्नक–1)**

प्राप्त अपील आवेदन के आलोक में आयोग स्तर पर वाद सं0–63 / 2023 प्रारम्भ करते हुए सुनवाई की गयी। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक–2576 दिनांक–27.12.2023 द्वारा प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया गया जिसमें किसी प्रकार का अनाज का गबन नहीं किये जाने एवं माह सितम्बर तथा दिसम्बर में कम अनाज प्रखण्ड को प्राप्त होने का उल्लेख किया गया। **(अनुलग्नक–2)**

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर परिवादी द्वारा दिनांक–30.01.2024 को सुनवाई के दौरान आवेदन के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन को आयोग को भ्रमित करने का प्रयास बताया गया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पुनः अपने पत्रांक–136 दिनांक–29.01.2024 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए परिवादी के आरोप को निराधार बताया गया। **(अनुलग्नक–3)**

दिनांक–30.01.2024 को आयोग द्वारा पारित आदेश में अधोहस्ताक्षरी को इस मामले की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। **(अनुलग्नक–4)** उक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–12.02.2024 को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। **(अनुलग्नक–5)**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक–526 दिनांक–20.03.2024 के माध्यम से पुनः एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें कतिपय अनियमितता होने की बात स्वीकार की गयी। **(अनुलग्नक–6)** दिनांक–28.03.2024 के सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा पारित आदेश में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति जाँच हेतु विभाग को प्रेषित किये जाने का निदेश दिया गया है। **(अनुलग्नक–7)**

अतः उक्त मामले में दिनांक–30.01.2024 एवं दिनांक–28.03.2024 को आयोग द्वारा परित आदेश एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा समर्पित उपरोक्त तीनों

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

प्रतिवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त पूरे मामले की जाँच कराने एवं जाँच प्रतिवेदन आयोग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/4/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261